सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड जल संस्थान अभियंत्रण सेवा एक ऐसी सेवा है, जिसमें समूह "क", 'ख" और 'ग' के पद समाविष्ट है।

परिभाषायें

3. यदि विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) उत्तराखण्ड जल संस्थान अभियन्त्रण सेवा तथा अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा के **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(ख) **"उत्तराखण्ड जल संस्थान अभियन्त्रण सेवा"** तथा **"उत्तराखण्ड जल संस्थान अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा"** से नियम 3 के अधीन सृजित की गयी उत्तराखण्ड जल संस्थान की सामान्य सेवा अभिप्रेत है;

(ग) **"भारत का नागरिक"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाता है;

(घ) **"आयोग"** से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(ङ) **"संविधान"** से "भारत का संविधान" अभिप्रेत है;

(च) **"सरकार"** से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;

(छ) **"राज्यपाल"** से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ज) **"राज्य"** से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;

(झ) **"सीधी भर्ती"** से इस नियमावली के भाग–पाँच में विहित रीति से की गयी भर्ती अभिप्रेत है;

(ञ) **"उत्तराखण्ड जल संस्थान"** से उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 (यथा उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) के अन्तर्गत स्थापित उत्तराखण्ड जल संस्थान अभिप्रेत है;

(ट) **"सेवा का सदस्य"** से इस नियमावली के अधीन किसी अभियन्त्रण सेवा के संवर्ग में किसी पद के प्रति उत्तराखण्ड राज्य की सेवा हेतु अन्तिम रूप से आवंटित या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ठ) **"नागरिकों के अन्य पिछडे वर्गों"** से समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथा उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) की अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों का पिछड़ा वर्ग अभिप्रेत है;

(ड) **"मौलिक नियुक्ति"** से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रकिया के अनुसार की गई हो;

(ढ) **"भर्ती का वर्ष"** से किसी कलैण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग–दो

संवर्ग और सदस्य संख्या

**अभियन्त्रण सेवाओं का गठन**

4. (1) उत्तराखण्ड जल संस्थान में निम्नलिखित केन्द्रीयत अभियन्त्रण सेवायें होंगी और सेवाओं में उनके सामने उल्लिखित पदनाम होगें:–

| | | |
|---|---|---|
| (क) उत्तराखण्ड जल संस्थान अभियन्त्रण सेवा | (एक) | मुख्य महाप्रबन्धक |
| | (दो) | महाप्रबन्धक |
| | (तीन) | अधीक्षण अभियन्ता |
| | (चार) | अधिशासी अभियन्ता |
| | (पांच) | सहायक अभियन्ता |
| (ख) उत्तराखण्ड जल संस्थान अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा | (एक) | अपर सहायक अभियन्ता |
| | (दो) | कनिष्ठ अभियन्ता |

(2) सेवा में पदों की सदस्य संख्या उतनी होगी, जितनी उत्तराखण्ड जल संस्थान के ढांचे में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किये जाएं :

परन्तु यह कि नियुक्ति प्राधिकारी –

(क) संवर्ग में किसी पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या स्थगित रख सकता है, जिसके लिए कोई व्यक्ति किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा; या

(ख) संवर्ग में पदनाम सहित ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पद राज्य सरकार के अनुमोदन से सृजित कर सकता है, जिसे वह आवश्यक समझें।

**अभियन्त्रण सेवा की सदस्य संख्या**

5. (1) सेवा में पदों की सदस्य संख्या उतनी होगी, जो सरकार के अनुमोदन से सृजित किये जाँय।

(2) उपनियम (1) के अधीन वर्तमान में सृजित पदों का विवरण **अनुसूची 'क'** में दिया गया है।

भाग तीन

भर्ती का स्रोत

**भर्ती का स्रोत**

6. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी; अर्थात् :–

(1) **कनिष्ठ अभियन्ता**– कनिष्ठ अभियन्ता के पदों पर भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी ;

परन्तु यह कि नियुक्ति प्राधिकारी, नियमावली के लागू होने के दिनांक को जल संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर तैनात मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं, जो प्रतिनियुक्ति की तारीख से निरन्तर कार्यरत हों और पद की शैक्षिक अर्हता धारित करते हों, का संविलियन निर्धारित मानकों के अन्तर्गत जैसा राज्य सरकार उचित समझे, केवल एक बार के लिये सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरूद्ध कर सकेगा।

(2) **अपर सहायक अभियंता**– अपर सहायक अभियंता के पदों पर भर्ती शत–प्रतिशत पद मौलिक रुप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ अभियन्ताओं में से, जो उस पदोन्नति वर्ष, जिसमें भर्ती की जाए, की पहली जुलाई को कम से कम 5 वर्ष की न्यूनतम सेवा पूर्ण करते हों, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा :

परन्तु यह कि अपर सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति कनिष्ठ अभियन्ता के कुल स्वीकृत पदों के सापेक्ष 75 प्रतिशत की सीमा तक ही की जायेगी।

(3) **सहायक अभियन्ता**– सहायक अभियन्ता के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी–

(क) 45 प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के द्वारा;

(ख) 50 प्रतिशत पद ऐसे कनिष्ठ/अपर सहायक अभियंताओं में से, जो उस पदोन्नति वर्ष, जिसमें भर्ती की जाए, की पहली जुलाई को कम से कम 10 वर्ष की न्यूनतम सेवा पूर्ण करते हों, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा;

(ग) 5 प्रतिशत पद ऐसे कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ताओं से, जो उस पदोन्नति वर्ष जिसमें भर्ती की जाए की पहली जुलाई को इस रूप में 07 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करते हों एवं जिन्होंने भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सिविल, विद्युत या यान्त्रिकी अभियान्त्रिकी में स्नातक उपाधि ***जल संस्थान की पूर्वानुमति से कर ली हो*** या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि अथवा सिविल, विद्युत या यान्त्रिक अभियान्त्रिकी, कम्प्यूटर साइन्स में इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्जीनियर्स (मान्यता प्राप्त) की ''क'' व ''ख'' की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, पदोन्नति द्वारा।

*टिप्पणी:– सहायक अभियन्ता पद पर पदोन्नति हेतु सेवा की गणना कनिष्ठ अभियन्ता तथा अपर सहायक अभियन्ता के पद पर की गई सेवा से आगणित की जाएगी।*

परन्तु यह कि नियुक्ति प्राधिकारी, नियमावली के नियम के दिनांक को जल संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर तैनात मौलिक रूप से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं, जो प्रतिनियुक्ति की तारीख से निरन्तर कार्यरत हों

और पद की शैक्षिक अर्हता धारित करते हों, का संविलियन निर्धारित मानकों के अन्तर्गत जैसा राज्य सरकार उचित समझे, केवल एक बार के लिये सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरूद्ध कर सकेगा।

(4) **अधिशासी अभियन्ता**– ऐसे सहायक अभियन्ताओं में से, जो उस पदोन्नति वर्ष, जिसमें भर्ती की जाए, की पहली जुलाई को कम से कम 07 वर्ष की न्यूनतम सेवा पूर्ण करते हों, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(5) **अधीक्षण अभियन्ता**– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक अभियंता एवं अधिशासी अभियन्ताओं में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को 15 वर्ष की सेवा (जिसमें अधिशासी अभियन्ता के रूप में कम से कम 06 वर्ष की सेवा भी सम्मिलित हो) पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(6) **महाप्रबन्धक** – मौलिक रूप से ऐसे सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता और अधीक्षण अभियन्ताओं में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को 20 वर्ष की सेवा (जिसमें अधीक्षण अभियन्ता के रूप में कम से कम 05 वर्ष की सेवा भी सम्मिलित हो) पूर्ण कर ली हो, श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(7) **मुख्य महाप्रबन्धक** – मौलिक रूप से ऐसे सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं महाप्रबन्धकों, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को 25 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, (जिसमें महाप्रबन्धक के पद पर कम से कम 02 वर्ष की सेवा भी सम्मिलित हो) श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

आरक्षण

7. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

## भाग–चार

## अर्हताएं

राष्ट्रीयता

8. अभियन्त्रण सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:–

(क) भारत का नागरिक, या,

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से एक जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आये हों, या,

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, यूगाण्डा या यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति अर्ह होना चाहिये, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो, तो पात्रता प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में, उसके भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेने के पश्चात ही रखा जायेगा।

**टिप्पणी**– ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

आयु

9. सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस भर्ती के वर्ष को जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिये रिक्तियां विज्ञापित की जायें, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और पश्चातवर्ती भर्ती वर्ष की पहली जुलाई को 35 वर्ष की आयु न पूरी की हो:

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर सामान्य आदेशों से विनिर्दिष्ट की जाये।

चरित्र

10. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह जल संस्थान की सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो, नियुक्ति प्राधिकारी इस समबंध में अपना समाधान कर लेगा।

**टिप्पणी**– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे, नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नही होंगे।

**शारीरिक स्वस्थता**

11. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अनुमोदित करने से पूर्व उससे :--

(क) राजपत्रित पद या सेवा के मामले में, आयुर्विज्ञान परिषद् की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी;

(ख) सेवा में अन्य पदों के मामले में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–दो, भाग–तीन के अध्याय–तीन में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है;

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

**शैक्षिक अर्हताएं**

12. (1) **सहायक अभियन्ता** :– भारत की विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सिविल/विद्युत/यांत्रिक अभियन्त्रिकी में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि या सिविल/विद्युत/यात्रिकी अभियांत्रिकी में इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया) की 'क' व 'ख' की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(2) **कनिष्ट अभियन्ता** :– शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से सिविल/विद्युत/यांत्रिक अभियन्त्रिकी में 03 वर्ष का डिप्लोमा किया हो।

**अधिमानी अर्हतायें**

13. अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा; जिसने–

(क) प्रादेशिक सेवा में कम से कम दो वर्ष तक सेवा की हो; या

(ख) नेशनल कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

**वैवाहिक प्रास्थिति**

14. पुरूष, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति की पात्र नहीं होगी :

परन्तु यह कि यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

भाग–पाँच

## सीधी भर्ती के लिए प्रकिया

रिक्तियों का अवधारण

15. सरकार वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या तथा इनके लिए क्षैतिज आरक्षण अवधारित करेगी और आयोग को सूचित करेगी।

सीधी भर्ती की प्रकिया

16. (1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन–पत्र आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगे।

(2) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश–पत्र न हो।

(3) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् आयोग नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित् करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करेगा, जो इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक् पहुंच सके हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रदान किये गये अंकों को लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ दिया जायेगा।

(4) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को जितनी वह नियुक्ति के लिए उचित समझे, संस्तुत करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

फीस

17. सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी, आयोग को और चिकित्सा परिषद् को ऐसी फीस का भुगतान करेगा, जो सरकार द्वारा समय–समय पर विहित की जाये। फीस की वापसी के लिये कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

अनुमोदित सूची

18. नियम 15 के अधीन आयोग द्वारा तैयार की गयी सूची प्राप्त होने पर नियुक्ति प्राधिकारी नियम 6, 9 एवं 10 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्ति करेगा।

भाग–छः

पदोन्नति की प्रकिया

पदोन्नति

19. (1) जहां पदोन्नति के लिए मानदण्ड श्रेष्ठता हो, वहां नियुक्ति प्राधिकारी पोषक पद पर ज्येष्ठता क्रम में अभ्यर्थियों की एक पात्रता–सूची तैयार करेगा, जिसमें नाम, यथासम्भव रिक्तियों की संख्या के तीन गुना, किन्तु कम से कम आठ, रखे जायेंगे।

(2) जहां पदोन्नति का मापदण्ड अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता हो, वहां नियुक्ति प्राधिकारी पोषक पद के प्रत्येक श्रेणी अर्थात् सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की अलग–अलग तीन पात्रता सूचियां उक्त श्रेणी के लिये उपलब्ध रिक्तियों को दृष्टि में रखते हुये तैयार करेगा, जो ज्येष्ठतम अभ्यर्थियों की पात्रता–सूची कही जायेगी, जिसमें यथा सम्भव निम्नलिखित अनुपात में रखे जायेंगे :–

01 से 05 रिक्तियों के लिये–रिक्तियों की संख्या का दुगुना किन्तु कम से कम पाँच।

05 से अधिक रिक्तियों के लिये–रिक्तियों की संख्या का 1–½(डेढ़) गुना किन्तु कम से कम दस।

**स्पष्टीकरण**– इस नियम में "**रिक्तियों की संख्या**" से कुल रिक्तियां तथा वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों की कुल संख्या अभिप्रेत है।

पदोन्नति द्वारा भर्ती निम्न चयन समितियों के माध्यम से पोषक पद के सभी पात्र अधिकारियों में से नियम 5 में दी गई व्यवस्था के आधार पर की जायेगी :–

**(क) मुख्य महाप्रबंधक के पद पर चयन हेतु समिति**

**(एक)** मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड सरकार – अध्यक्ष;

**(दो)** प्रमुख सचिव/सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड सरकार – सदस्य;

**(तीन)** प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड सरकार – सदस्य;

**(चार)** यदि उपखण्ड (एक) से (तीन) में निर्दिष्ट अधिकारी

अनुसूचित जातियों या अन्य पिछड़े वर्गों का न हो तो उक्त जातियों या वर्गों जिनका प्रतिनिधित्व समिति में न हो, के एक अधिकारी को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड सरकार, द्वारा, ऐसे अधिकारियों में से, जो मुख्य महाप्रबन्धक पद से एक वेतनमान उच्च पद पर हो, नाम–निर्दिष्ट किया जायेगा।

**(ख) महाप्रबंधक के पद पर चयन समिति**

**(एक)** प्रमुख सचिव/सचिव, पेयजल उत्तराखण्ड सरकार – अध्यक्ष;

(दो) प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड सरकार /प्रतिनिधि कार्मिक विभाग या उनका नाम-निर्देशित, जो संयुक्त सचिव से अनिम्न स्तर का हो – सदस्य;

(तीन) अपर सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन – सदस्य;

(चार) सचिव, पेयजल द्वारा नामित एक विशेषज्ञ, जो महाप्रबन्धक पद के एक वेतनमान उच्च पद पर हो;

(पांच) यदि उपखण्ड (एक) से (चार) में निर्दिष्ट अधिकारी अनुसूचित जातियों या अन्य पिछड़े वर्गों का न हो तो उक्त जातियों या वर्गों, जिनका प्रतिनिधित्व समिति में न हो, के एक अधिकारी को सचिव, पेयजल उत्तराखण्ड सरकार, द्वारा ऐसे अधिकारियों में से, जो कम से कम उस पद से, जिनके लिये चयन समिति गठित की जानी है, एक वेतनमान उच्च पद पर हो, नाम निर्दिष्ट किया जायेगा;

(ग) **अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के पदों हेतु चयन समिति –**

(एक) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड सरकार, पेयजल विभाग – अध्यक्ष

(दो) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड सरकार, कार्मिक विभाग या उनके द्वारा नामित, जो संयुक्त सचिव से अनिम्न स्तर का हो – सदस्य

(तीन) अपर सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन – सदस्य

(चार) यदि उपखण्ड (एक) से (चार) में निर्दिष्ट अधिकारी अनुसूचित जातियों या अन्य पिछड़े वर्गों का न हो तो उक्त जातियों या वर्गों, जिनका प्रतिनिधित्व समिति में न हो, के एक अधिकारी को प्रमुख सचिव/सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा ऐसे अधिकारियों में से, जो कम से कम उस पद से, जिसके लिये चयन समिति गठित की जानी है, एक वेतनमान उच्च पद पर हो, नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा; – सदस्य

(घ) **अपर सहायक अभियंता के पद हेतु चयन समिति :–**

(एक) मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान – अध्यक्ष;

(दो) महाप्रबन्धक (मुख्यालय) उत्तराखण्ड जल संस्थान – सदस्य;

(तीन) मुख्य महाप्रबन्धक द्वारा नामित महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान – सदस्य।

(3) चयन समिति चयन वर्ष में पदों की उपलब्धता के अनुरूप नियुक्ति हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों के नामों की सूची तैयार करेगी।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर, जिसमें उनके नाम सूची में आये हों, नियुक्त करेगा।

(5) सूची में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थी, जिनके लिये रिक्तियां तुरन्त उपलब्ध न हो, को वर्ष के दौरान रिक्त होने वाले पदों के लिए तब तक प्रतिक्षारत रखे जायेंगे जब तक पद रिक्त न हो जाए।

संयुक्त चयन सूची 20. यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जायें, जो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस प्रकार लिये जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

## भाग–सात

## नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति 21. रिक्तियों के होने पर, सरकार सेवाओं में नियुक्तियां नियम 18 के अधीन तैयार की गयी सूची से, और नियम 19 के उपबन्धों के अनुसार पदोन्नति द्वारा करेगी।

परिवीक्षा 22. (1) सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति किए जाने पर प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा :

परन्तु यह कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी व्यक्ति विशेष के मामले के पर्याप्त कारणों से, जो अभिलिखित किए जायेंगे दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है। समयावधि बढ़ाने के ऐसे आदेश में यह ठीक अवधि लिखी जायेगी, जब तक के लिए उक्त अवधि बढ़ायी गयी हो।

(2) यदि परिवीक्षा अवधि अथवा बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि में किसी समय यह पाया जाये कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है अथवा अन्य किसी प्रकार से उस कार्य स्तर के सम्बन्ध में, जिसे उससे अपेक्षा की जाती है, संतुष्ट करने में असफल रहा है, तो उसकी सेवायें यदि वह सीधी भर्ती से लिया गया हो, समाप्त की जा सकती है, जिसके लिए वह किसी नोटिस अथवा प्रतिकर का हकदार न होगा।

स्थायीकरण 23. कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति परिवीक्षा अवधि अथवा बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में पद पर स्थायी कर दिया जायेगा, यदि उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक हो और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की जाये।

ज्येष्ठता

24. (1) एतद्पश्चात् की गई व्यवस्था के अतिरिक्त किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (ज्येष्ठता निर्धारित) नियमावली, 2002 के अनुसार किया जायेगा। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस कम में निर्धारित की जायेगी, जिसमें उनके नाम उसकी नियुक्ति आदेश में कमांकित किये जाते है :

परन्तु यह कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किया जाता है तो वह दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति आदेश का दिनांक माना जायेगा तथा अन्य मामले में इसे आदेश जारी किये जाने का दिनांक माना जायेगा।

(2) किसी एक चयन के परिणामस्वरूप सीधी नियुक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो, यथास्थिति, आयोग या चयन समिति द्वारा अवधारित की जाय :

परन्तु यह कि यदि सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी पद का प्रस्ताव प्रदान किये जाने पर बिना वैध कारणों से कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता है।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो उनके संवर्ग में थी, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है।

(4) जहां नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से अथवा किसी एक स्रोत द्वारा की जाती हैं और स्रोतों का पृथक–पृथक कोटा विहित है तो परस्पर ज्येष्ठता नियम 20 के अनुसार तैयार की गई संयुक्त सूची के नामों को चक्रीय कम में इस प्रकार कमांकित कर अवधारित की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहे .

परन्तु यह कि–

(क) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटे से अधिक की जाती हैं वहां कोटे से अधिक नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता अनुवर्ती वर्ष या वर्षो में, जिनमें कोटे के अनुसार रिक्तियां हों, नीचे कर दी जायेंगी।

(ख) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटे से कम की जाती हैं और ऐसे रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्तियां अनुवर्ती वर्ष या वर्षो में की जाती है, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की किसी पूर्ववर्ती वर्ष से ज्येष्ठता नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें उस वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की गयी। यद्यपि उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनका नाम (इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली सूची) चक्रीय कम में अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम से सबसे ऊपर रखा जायेगा।

(ग) जहां नियमों या विहित प्रकिया के अनुसार किसी स्रोत से भरी जाने वाली रिक्तियां संगत नियम या प्रकिया में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी अन्य स्रोत से भरी जा सकती है और इस प्रकार कोट से अधिक नियुक्तियां की जाती है, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को उसी वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी मानों उसकी नियुक्ति उसके कोटे की रिक्तियों के विरूद्ध की गयी है।

**स्थानान्तरण**

25. उत्तराखण्ड जल संस्थान में विभिन्न सेवाओं में स्थानान्तरण निम्न रीति से होगें –

(एक) कनिष्ठ अभियन्ता और अपर सहायक अभियंता के स्थानान्तरण मुख्य महाप्रबन्धक द्वारा किए जायेगें।

(दो) सहायक अभियन्ता एवं इससे ऊपर के पदों पर कार्यरत अभियन्ताओं के स्थानान्तरण राज्य सरकार द्वारा किए जायेंगे।

## भाग– आठ

## वेतन आदि

**वेतन और भत्ते**

26. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय का वेतनमान **परिशिष्ट 'क'** में दिए गए हैं।

**परिवीक्षा अवधि के दौरान वेतन**

27. परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से जल संस्थान की सेवा में न हो, परिवीक्षा अवधि में, प्रथम वर्ष में पद का न्यूनतम वेतन और वेतन वृद्धियाँ, जब वह देय होती हो, दी जायेगी :

परन्तु यह कि यदि परिवीक्षा की अवधि उसके असन्तोषजनक कार्य के कारण बढ़ाई जाती है तो बढ़ाई गयी अवधि की गणना, वेतन वृद्धि में नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में कोई अन्यथा आदेश न पारित करें।

## भाग – नौ

## अन्य उपबन्ध

**पक्ष समर्थन**

28. भर्ती के लिए इस नियमावली के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न सिफारिशों पर चाहे वे लिखित हों या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से अपनी अभ्यर्थता के लिए अन्य उपायों द्वारा समर्थन प्राप्त करने का प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

| | | |
|---|---|---|
| भविष्य निधि | 29. | उत्तराखण्ड जल संस्थान की सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भविष्य निधि ऐसी होगी, जैसी उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा समय–समय पर विनियमों द्वारा अवधारित की जाये। |
| सेवानिवृत्ति की आयु | 30. | उत्तराखण्ड जल संस्थान की सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष होगी अथवा जैसा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियमों द्वारा अवधारित की जायें। |
| अन्य विषयों का विनियमन | 31. | उन विषयों के सम्बंध में, जो विनिर्दिष्ट रुप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हो, सेवा में नियुक्त व्यक्ति ऐसे नियमों विनियमों और आदेशो द्वारा नियंत्रित होंगे, जो राज्य के कार्य कलाप के सम्बंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू होते है। |
| निर्वचन | 32. | यदि इस नियमावली के किन्ही उपबन्धों के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई विवाद उठे या कठिनाई उत्पन्न हो तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा और उसका निर्णय अन्तिम तथा निश्चायक होगा। |
| शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन | 33. | सरकार, इस नियमावली के अधीन अपनी शक्तियों को मुख्य महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड जल संस्थान को प्रत्यायोजित कर सकती है। |
| व्यावृत्ति | 34. | इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नही पड़ेगा, जिनका नियम 6 और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित है। |

परिशिष्ट 'क'

{कृपया नियम 4 का उपनियम (2) तथा नियम 25 का उपनियम (2) देखें}

## अभियन्त्रण सेवा

| क0सं0 | पदनाम | वेतनमान (रू0 में) | ग्रेड वेतन (रू0 में) | स्वीकृत पदों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | मुख्य महाप्रबन्धक | 37400–67000 | 8900 | 01 |
| 2. | महाप्रबन्धक | 37400–67000 | 8700 | 03 |
| 3. | अधीक्षण अभियन्ता | 15600–39100 | 7600 | 13 |
| 4. | अधिशासी अभियन्ता | 15600–39100 | 6600 | 28 |
| 5. | सहायक अभियन्ता | 15600–39100 | 5400 | 112 |
| | **अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा** | | | |
| 1. | अपर सहायक अभियंता | 9300–34800 | 4800 | 197 |
| 2. | कनिष्ठ अभियन्ता | 9300–34800 | 4200 | 66 |

आज्ञा से,

उत्पल कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1343/XXIX(1)/2011-(20 Adhi)/11, dated December 02, 2011 for general information :

No. 1343/XXIX(1)/2011-(20 Adhi)/11
*Dated Dehradun , December 02, 2010*

NOTIFICATION1

In exercise of the powers conferred by section 27-A of the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act. 1975. (as applicable to the State of Uttarakhand) and in suppersession of the all existing orders and rules in this regard. the Governor is pleased to make the following rules for recruitment and the conditions of service of persons appointed to the posts of Uttarakhad Jal Sansthan Engineering Services :-

# The Uttarakhand Jal Sansthan Engineering Service Rules, 2011

## PART-1

## General

**Short title, Extent and commencement**

1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Jal Sansthan Engineering Service Rules. 2011.

(2) It extends to the all Engineering services serving in the Uttarakhand Jal Sansthan.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Gazette.

**Status of Service**

2. The Uttarakhand Jal Sansthan Engineering Services comprises of Group "A", "B" and "C" Posts.

**Definitions**

3. In these rules unless there in anything repugnant in the subject or context-

(a) **"Appointing Authority"** for the Uttarakhand Jal Sansthan Engineering Services and Subordinate Engineering Services means the State Government :

(b) "**Uttarakhand Jal Sansthan Engineering Service**" and "**Uttarakhand Jal Sansthan Subordinate Engineering Services**" means a general service of Uttarakhand Jal Sansthan created under rule 3;

(c) **"Citizen of India"** means, a person, who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of **"the Constitution of India;"**

(d) **"Commission"** means the Uttarakhand Public Service Commission;

(e) **"Constitution"** means **"the Constitution of India"**;

(f) **"Government"** means the Government of Uttarakhand;

(g) **"Governor"** means the Governor of Uttarakhand.

(h) **"State"** means the State of Uttarakhand;

(i) **"Direct Recruitment"** means recruitment made in accordance with the procedure in part-V of these rules;

(j) **"Uttarakhand Jal Sansthan"** means the Uttarakhand Jal Sansthan established under the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975 (as applicable to the State of Uttarakhand);

(k) **"Member of service"** means a person appointed by appointing authority or finally allocated for service of Uttarakhand of any posts in cadre of any Engineering service under these rules;

(l) **"Other Backward Classes of citizens"** means Backward Classes of citizens specified in Schedule-I of the Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Scheduled Castes. Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act. 1994 (as applicable to the State of Uttarakhand) and as amended from time to time:

(m) **"Substantive Appointment"** means an appointment not being *an adhoc* appointment on a post in the cadre of the Service. made after selection in accordance with the rules and. if there is no rules. in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instruction issued by the Government:

(n) **"Year of recruitment"** means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

## PART - II

## Cadre and Number of Members

**Establishment of Engineering services**

4. (1) There shall be following centralized Engineering services in the Uttarakhand Jal Sansthan and name of posts shall be such as mentioned in front of that services :-

| | |
|---|---|
| (a) Uttarakhand Jal Sansthan Engineering Service | (i) Chief General Manager |
| | (ii) General Manager |
| | (iii) Superintendent Engineer |
| | (iv) Executive Engineer |
| | (v) Assistant Engineer |
| (b) Uttarakhand Jal Sansthan Subordinate Engineering Services | (i) Additional Assistant Engineer |
| | (ii) Junior Engineer |

(2) The number of posts in the service shall be such as sanctioned from time to time by the State Government in the structure of Uttarakhand Jal Sansthan :

Provided that. the appointing authority -

(a) may leave unfilled or hold in abeyance any vacant post without thereby entitling any person to compensation; or

(b) may create such additional permanent or temporary post by name with the prior approval of the State Government as he may consider necessary .

**Member number of Engineering services**

5. (1) The number of posts of service shall be such as created with the approval of the State Government.

(2) The detail of the posts created at present under sub-rule (1) is given in **Annexure 'A'** :

## PART-III

### Source of Recruitment

**Source of Recruitment**

6. Recruitment to the various categories of posts in the Service shall be made from the following sources; namely :-

(1) **Junior Engineer** – Direct recruitment to the post of Junior Engineer shall be made through the Public Service Commission :

Provided that the appointing authority may, under the prescribed norms as deemed fit by the State Government, make appointment by absorption only for once against the vacant posts of direct recruitment from amongst substantively appointed Junior Engineers working on deputation in Jal Sansthan on the date of commencemence of these rules continuously from the date of deputation and who hold the education qualification of the post.

(2) **Additional Assistant Engineer**- 100% by promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst such substantively appointed Junior Engineers, who have completed minimum five years service on the first July of the year of recruitment:

Provided that the promotion on the post of Additional Assistant Engineer shall be made only up to the limit of 75% of the total sanctioned posts of Junior Engineers.

(3) **Assistant Engineer**- Recruitment to the posts of Assistant Engineer shall be made from following sources –

**(a)** 45% posts by direct recruitment through the Public Services Commission;

**(b)** 50% posts by promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst such Junior/Additional Assistant Engineers, who have completed minimum 10 years service on the first July of the year of recruitment:

(c) 5% posts by promotion from amongst such Junior/Additional Assistant Engineers, who have completed 07 years satisfactory service and who have Graduate Degree in Civil, Electrical or Mechanical Engineering from any University established by Law in India or passed examination of 'A' and 'B' of Institute of Engineers (recognized) in Civil, Electrical or Mechanical Engineers, Computer Science or equivalent thereto with the prior approval of the Jal Sansthan.

**NOTE:** For the calculation of service for promotion on the post of Assistant Engineer, length of service on the post of Junior Engineer and Additional Assistant Engineer shall be counted.

Provided that the appointing authority may, under the prescribed norms as deemed fit by the State Government, make appointment by absorption only for once against the vacant posts of direct recuruitment from amongst substantively appointed Assistant Engineers working on deputation in Jal Sansthan on the date of commencemence of these rules continuously from the date of deputation and who hold the education qualification of the post.

(4) **Executive Engineer-** By promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst such Assistant Engineers, who have completed minimum 7 years service on the first July of the year of recruitment.

(5) **Superintendent Engineer** – By promotion on the basis of seniority subject to rejection from amongst the substantively appointed Assistant Engineers, Executive Engineers, who have completed 15 years service (including atleast 6 years service as Executive Engineer) on the first day of the year of recruitment.

(6) **General Manager** – By promotion on the basis of merit from amongst the substantively appointed Assistant Engineers, Executive Engineers and Superintendent Engineers, who have completed 20 years service (including atleast 5 years service as Superintendent Engineer) on the first day of the year of recruitment.

(7) **Chief General Manager** - By promotion on the basis of merit from amongst substantively appointed Assistant Engineers, Executive Engineers, Superintendent Engineers and General Managers, who have completed 25 years service including at least 2 years service as General Manager, on the first day of the year of recruitment.

**Reservation** 7. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other categories of the State of Uttarakhand shall be in accordance with orders of the Government in force at the time of recruitment.

## PART-IV

## Qualifications

**Nationality** 8. A candidates for direct recruitment to a post in the Service must be:

**(a)** a citizen of India;

**(b)** a Tibetan refugee, who came over to India before January 01,1962 with the intention of permanently settling in India; or

**(c)** a person of Indian origin, who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India :

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) must be a person in whose favor a certificate of eligibility has been issued by the State Government :

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a Certificate of eligibility granted by the Inspector General of Police, Intelligence Bureau of Uttarakhand:

Provided also that if a candidate belongs to category (c), no Certificate of eligibility will be issued for a period of more than One year and the retention of such a candidate in Service beyond the period of One year shall be subject to his acquiring Indian Citizenship.

**NOTE:** A candidate in whose case a Certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused may be admitted to an Examination or Interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary Certificate being obtained by him or issued in his favor.

**Age** 9. A candidate for direct recruitment to the posts in the service must have attained the minimum age of 21 years on first July of the selection year during which the vacancies are published but not have attained 35 years of age on first July of the following selection year:

Provided that the upper age limit in case of candidates belonging to the scheduled Castes. Scheduled Tribes. other backward classes and other categories shall be higher by such number of years as may be specified by the State Government from time to time.

**Character** 10. The character of a candidate for direct recruitment to a post in Service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service. The appointing authority shall. satisfy itself on this point.

**NOTE**- A person dismissed by the Union Government or any State Government or by Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State government shall be ineligible for appointment to any post in the Service. A person convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

**Physical Fitness** 11. No candidate shall be appointed to a post in the service. unless he is in good mental and bodily health and free from such physical defect which may affect his capability of performing duties efficiently. Before a candidate is finally approved for appointment. he shall be required

(a) in the case of Gazetted post or service. to pass an examination by a Medical Board:

(b) in the case of other posts in the service. to produce a Medical Certificate of fitness. in accordance with the rules framed under fundamental rule 10. contained in Chapter III of the Financial Hand Book Volume II Part III :

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate appointed by promotion.

**Education Qualifications**

12. (1) **Assistant Engineer** - Graduate Degree in Civil. Electrical or Mechanical Engineering from any University established by Law in India or passed examination of 'A' and 'B' of Institute of Engineers (INDIA) in Civil. Electrical or Mechanical Engineers. Computer Science or equivalent thereto.

(2) **Junior Engineer** - 03 years Diploma in Civil/Electrical /Mechanical Engineering from any University or Institutions recognized by the Government.

**Preferential Qualifications**

13. A candidate. who has -

**(a)** served in the Territorial Army for a minimum period of two years: or

**(b)** obtained a 'B' Certificate of National Cadet Corps.

shall. other thing being equal. be given preference in the matter of direct recruitment.

**Marital Status**

14. A male candidate. who has more than one wife living or a female candidate. who has married to a man already having a wife alive shall not be eligible for appointment to a post in the Service :

Provided that the Nigam may. if satisfied that there exist special reason for doing so. exempt any person from the operation of this rule.

## PART-V

### Procedure for Direct Recruitment

**Determination of vacancies**

15. The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the year of recruitment. and also the number of vacancies to be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes. Scheduled Tribes and other Backward Classes : including horizontal reservation and inform the commission under rule 6.

**Procedure for Direct recruitment**

16. (1) Application for permission to appear in the competitive examination for the post shall be invited by the Commission in the prescribed Performa published by the Commission in the advertisement.

(2) No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission issued by the Commission.

(3) After the result of the written examination have been received and tabulated. the Commission shall. having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes. Scheduled Tribes and other categories under rule 6. invite for interview such number of candidates who. on the results of the written examination have achieved the standard fixed by the Commission in this respect. The marks awarded to each candidate in the interview shall be added to the marks obtained by him in the written examination.

(4) The Commission shall prepare a list of candidates in order of merit as disclosed by the aggregate of the marks obtained by them in the written examination and interview. If two or more candidates have obtained equal marks in the aggregate. the name of the candidate obtaining higher marks in the written examination shall be placed higher in the list. The Commission shall forward the list to the Appointing Authority.

**Fees**

17. The Candidate shall pay such fee to the Commission and Medical Council for direct recruitment in service as determined by the Government from time to time. No claim shall be admissible for refund of fees.

**Approved list**

18. On receipt of a list prepared by Commission under rule 15. the appointing authority shall make appointment against the vacant posts subject to the provisions of rule 6. 9 and 10.

## PART-VI

### Procedure of promotion

**Promotion**

19. (1) Where the norm for promotion is merit. the appointing authority shall prepare an eligibility list of candidates in order of seniority on feeder post. which will have names three times to the number of vacancies but minimum eight.

(2) Where the norm for promotion is seniority subject to rejection of unfit. the appointing authority shall prepare three separate eligibility lists in view of available vacancies for category of candidates namely; General. Scheduled Castes and Scheduled Tribes. which

shall be called eligibility list of senior most candidates and names in the list shall be placed in following proportion as far as possible :

for vacancies 1 to 5 – two times of number of vacancies but minimum 5.

for vacancies above 5 - one and half times of number of vacancies but minimum 10.

**Explanation**— For this rule "**Number of vacancies**" means total vacancies available and anticipated during the year.

Recruitment by promotion shall be made from amongst all eligible officers of feeding posts through the following selection committees on the basis of provisions given in rule 5 :

(a) **Committee for selection on the post of Chief General Manager-**

| | | |
|---|---|---|
| (i) Chief Secretary to Government of Uttarakhand | - | Chairman |
| (ii) Principal Secretary/ Secretary, Peyjal to the Government of Uttarakhand | - | Member |
| (iii) Principal Secretary/ Secretary, Personnel, to the Government of Uttarakhand | - | Member |

(iv) If no officer referred in sub-clause (i) to (iii), belongs to the Scheduled Castes or Other Backward Classes then whose representation of above castes or categories, is not in the Committee, the Chief Secretary to the Government of Uttarakhand shall nominate one such officer who is working on one scale higher than that of the post of Chief General Manager;

(b) **Selection Committee for the post of General Manager -**

| | | |
|---|---|---|
| (i) Principal Secretary/ Secretary, Peyjal, to the Government of Uttarakhand | - | Chairman |
| (ii) Principal Secretary/ Secretary, Personnel, to the Government of Uttarakhand / representative of Personnel department or his nominee, who is not less than the rank of Joint Secretary | - | Member |

(iii) Additional Secretary, Peyjal, to the Government of Uttarakhand - Member

(iv) one expert nominated by Secretary, Peyjal, who is holding the post one scale higher than that of the post of General Manager

(v) If no officer referred in sub-clause (i) to (iii), belongs, to the Scheduled Castes or Other Backward Classes then whose representation of above castes or categories, is not in the Committee, the Chief Secretary to the Government of Uttarakhand shall nominate one such officer who is holding post one scale higher than that of the post for which selection is to be made.

**(c) Selection Committee for the post of Superintendent Engineer, Executive Engineer and Assistant Engineer-**

(i) Principal Secretary/ Secretary, Peyjal, to the Government of Uttarakhand - Chairman

(ii) Principal Secretary/ Secretary, Personnel, to the Government of Uttarakhand or his nominee, who is not less than the rank of Joint Secretary - Member

(iii) Additional Secretary, Peyjal, to the Government of Uttarakhand - Member

(iv) If no officer referred in sub-clause (i) to (iii), belongs, to the Scheduled Castes or Other Backward Classes then whose representation of above castes or categories, is not in the Committee, the Chief Secretary to the Government of Uttarakhand shall nominate one such officer who is holding post one scale higher than that of the post for which selection is to be made.

(D) **Selection Committee for the post of Additional Assistant Engineer :-**

| | |
|---|---|
| (i) Chief General Manager, Uttarakhand Jal Sansthan | - Chairman |
| (ii) General Manager (headquarter) | - Member |
| (iii) General Manager, Uttarakhand Jal Sansthan nominated by Chief General Manager. | - Member |

(3) The Selection Committee shall prepare a list of eligible candidates for appointment as per the availability of posts in the selection year.

(4) The appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the list.

(5) Such candidates of list, for whom the vacancy is not available at once, they shall be kept in waiting till the post is not available during the year.

**Combined Selection List**

20. If in any year of recruitment appointments are made both by direct recruitment and by promotion, a combined select list shall be prepared by taking the names of candidates from the relevant lists in such manner that the prescribed percentage is maintained, the first name in the list being of the person appointed by promotion.

## PART-VII

### Appointment, Probation, Confirmation and Seniority

**Appointment**

21. On vacancy, the Government shall make the appointments from the prepared list under rule 18 and shall make promotion according to the provisions of rule 19.

**Probation**

22. (1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years :

Provided that in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years. The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted.

(2) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, then his services if made by direct recruitment, may be disposed with and shall not be entitled to any notice or compensation dispensed with.

**Confirmation** 23. A probationer shall be confirmed on his post at the end of the period of the probation or the extended period of probation if his work and conduct is reported to be satisfactory and his integrity is certified.

**Seniority** 24. (1) Except as hereinafter provided, the seniority of any person shall be fixed in accordance with the Uttarkhand Government Servant (Fixation of Seniority) Rule, 2002. If two or more persons are appointed together, by such order in which their names are arranged in the appointments order:

Provided that if the appointment order specifies a particular back date with effect from which a person is deemed to be substantively appointed, that date, will be deemed to be the date of order of substantive appointment and, in other case, it will mean the date of issue of the order.

(2) The seniority *inter se* of persons appointed directly on the result of any one selection, shall be the same as determined by the selection committee or commission, as the case may be.

Provided that a candidate recruited directly may lose his seniority, if he fails to join without valid reasons when vacancy is offered to him.

(3) The seniority *inter se* of persons appointed by promotion shall be the same as it was in the cadre from which they were promoted.

(4) Where appointments are made both by promotion and direct recruitment or from more then one source and the respective quota of the sources is prescribed, the inter se seniority shall be determined by arranging the names in a cyclic order in a combined list, prepared in accordance with rule 20, in such manner that the prescribed percentage is maintained :

Provided that—

(a) where appointments from any source are made in excess of the prescribed quota, the persons appointed in excess of quota shall be pushed down, for seniority, to subsequent year or years in which there are vacancies in accordance with the quota:

(b) where appointments from any source fall short of the prescribed quota and appointments against such unfilled vacancies are made in subsequent year or years. the persons so appointed shall not get seniority of any earlier year but shall get the seniority of the year in which their appointments are made. so however. that in the combined list of that year (to be prepared under this rule) their names shall be placed at the top followed by the names. in the cyclic order. of the other appointees:

(c) where. in accordance with the rules or prescribed procedure. the unfilled vacancies from any source could. in the circumstances mentioned in the relevant rules or procedure be filled from the other source and appointment in excess of quota are so made. the persons so appointed shall get the seniority of that very year as if they are appointed against the vacancies of that quota.

**Transfer**

25. The Transfers in various services of Uttarrakhand Jal Sansthan shall be made by following procedure :-

(i) the transfer of Junior Engineer and Additional Assistant Engineer shall be made by the Chief General Manager:

(ii) the transfer of Assistant Engineer and above shall be made by the State Government.

## Part - VIII

## Pay etc.

**Pay and Allowances**

26. (1) The scale of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of commencement of these rules shall be as given in **Annexure "A".**

**Pay during probation**

27. A person on probation. if he is not already in permanent Nigam service. shall be allowed minimum pay of post in first year and increments shall be allowed when the increment may be admissible:

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment. until the appointing authority otherwise issues instructions.

## PART - IX

### Other Provisions

**Canvassing** 28. No recommendation either written or oral other than those required under this rule applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for this candidature will disqualify him for appointment.

**Provident Fund** 29. The Provident Fund of appointed person in the service of Uttarrakhand Jal Sansthan shall be such as determined by the Uttarrakhand Jal Sansthan.

**Age of super-annuation** 30. The age of superannuation of appointed person in the service of Uttarakhand Jal Sansthan shall be 60 years or as determined by the rules from time to time by the State Government.

**Regulation of other matters** 31. In regard to the matters not specially conveyed by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to the Government Servants Serving in connection with affaire of the State.

**Interpretation** 32. If any dispute arises regarding the interpretation of any provisions of these rules shall be referred to the Government whose decision shall be final and binding.

**Delegation of powers or functions** 33. The Government may delegate the powers to the Chief General Manager of Uttarrakhand Jal Sansthan under these Rules.

**Savings** 34. Nothing in these Rules shall affect reservations and other concessions required to be provided to the candidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes of persons belonging to the State of Uttarakhand in accordance with rule 6 and the orders of the Government issued from time to time in this regard.

Annexure 'A'

[See sub-rule (2) of rule 4 and sub-rule (2) of rule 25]

| S. No. | Name of Post | Pay Scale (in Rupees.) | Grade pay (in Rupees.) | Number of posts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Chief General Manager | 37400-67000 | 8900 | 01 |
| 2 | General Manager | 37400-67000 | 8700 | 03 |
| 3 | Superintendent Engineer | 15600-39100 | 7600 | 13 |
| 4 | Executive Engineer | 15600-39100 | 6600 | 28 |
| 5 | Assistant Engineer | 15600-39100 | 5400 | 112 |
| | **Subordinate Engineering Service** | | | |
| 1 | Additional Assistant Engineer | 9300-34800 | 4800 | 197 |
| 2 | Junior Engineer | 9300-34800 | 4200 | 66 |

By Order,

UTTPAL KUMAR SINGH,

*Principal Secretary.*

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 4 पेयजल/622–2011–100+100 (कम्प्यूटर/रीजियो)।